छत्तीसगढ़ शासन

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE



कमार जनजाति में
प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़



शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 03

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

कमार

जनजाति में प्रथागत कानून

निर्देशन	:	शम्मी आबिदी IAS
प्रतिवेदन	:	श्री जयमंगल पटेल

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय – 01
प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ देश का 26 वां राज्य है, जो खनिज संपदा और आदिवासी बहुल्य प्रदेश होने के कारण देश में प्रसिद्ध है। आदिम समाज सदियों से राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक वन तथा नदी घाटियों या पृथक पर्यावरण परिवेश में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे है। अन्य आदिवासियों की तुलना में कमार जनजाति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायों एवं उसके उप जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजाति समूहों को अत्यन्त पिछड़ी हुई जीवन स्तर के आधार पर इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। छ.ग. राज्य में घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में **कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया व बैगा** जनजाति सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिये पृथक से क्षेत्रवार विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। राज्य की उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं जीवन शैली के कारण जनजातीय मानचित्र में विशेष स्थान रखती है। अतः उनके समाज में प्रचलित प्रथागत नियम कानून का अध्ययन किया गया है।



अध्ययन का उद्देश्य –

वस्तुतः छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल्य राज्य है। इसमें कमार एक आदिम जनजातीय समूह के रूप में चिन्हांकित किया गया है। यह जनजाति वर्तमान में भी अपनी परम्परागत जीवन शैली को अपनाये हुए है, परन्तु आधुनिकता के प्रभाव से यह जनजाति भी ज्यादा दिनों तक अछुता नही रह पायेगी। अतः यथाशीघ्र इनकी जीवन शैली एवं प्रथागत

नियम–कानून को लिपि बद्ध करने की आवश्यकता है, नही तो भविष्य में इस विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त नही किया जा सकेगा। किसी भी समाज का प्रथागत नियम–कानून सिर्फ उनके राजनैतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी नही देता है, बल्कि उनके पूरे सामाजिक व्यवस्था की जानकारी भी देता है। सामाजिक रूप से अप्रिय घटनाओं का निराकरण परम्परागत पंचायत द्वारा कैसे किया जाता है, उनकी सामाजिक एकता को बनाये रखने में प्रथागत नियम–कानून का कितना महत्व है, आदि को जानना आवश्यक है। आधुनिक पंचायत क्या है? आधुनिक पंचायत एवं परम्परागत पंचायत के बीच समानता एवं विरोधाभाष को उजागर करना साथ ही कमारों की परम्परागत पंचायत सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में क्या भूमिका अदा करती है, आदि का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है।



अध्ययन क्षेत्र –

कमार जनजाति के प्रथागत नियम–कानून का अध्ययन हेतु कमार बाहुल्य गरियाबंद जिले के बेहराडीह, बोईरगांव, केशोडार डोंगरीगांव महासमुंद जिले का सिरपुर, बॉसकुडा 2 तथा बलौदाबाजार भाटापारा के बल्दाकछार ग्रामों का चयन किया गया।

अध्ययन प्रविधि –

कोई भी शोध कार्य कुछ निश्चित विधि एवं प्रविधियों को अपनाकर ही पूरा किया जा सकता है। इन विधियों के द्वारा ही शोधकर्ता अपने आवश्यक तथ्यों का संकलन करता है।

सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढ़ग से तो किया जाता है साथ ही अन्य व्यस्थित एवं निश्चित अध्ययन प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है।

साक्षात्कार विधि सूचनादाता को सामने बैठाकर वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करती है। साक्षात्कार के माध्यम से लोगों के मनोभावों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है साथ ही उनके बाह्य एवं निजी जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

कमार जनजाति की उत्पत्ति –

कमार जाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किवदन्ती प्रचलित है। जिसमें यह एक है– आदिकाल जिसे इतिहास में प्राचीन काल भी कहॉ गया है। कमार जनजाति की उत्पत्ति सृष्टि के देवगण जिसमें ईशर देव–बुढ़ामाडोव, गांवदेव, बुढ़ादेव एवं देवगण में देवचतुर्भुज, लाखाराय, सिंगाराय, इन्दर भीमा आदि गणों के द्वारा माना जाता है। इनके मन में पृथ्वी लोक पर मानव सृजन करने का विचार आया फिर सभी ने सर्वसम्मति से तय किया कि पृथ्वी लोक में आवश्यक सामाग्री लेकर अवतरण करना होगा साथ ही पृथ्वी लोक में जो भी सबसे पहले अवतरित होगा वही पृथ्वी लोक का नेतृत्व करेगा तब ईशरगण और देवगण दोनों दलों में अवतरण के लिये प्रतिद्वन्द प्रारम्भ हो गया इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले अवतरित होगा वही पृथ्वी लोक का राजा होगा। इस बात पर ईशरदेव का सबसे छोटा भाई बुढ़ादेव ने गम्भीरता से विचार कर बिना ही आवश्यक समाग्री लिये किसी को बिना बताये पृथ्वी लोक में अवतरित हो गया। बुढ़ादेव जैसे ही ईशर लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए तो पृथ्वी लोक के नियमानुसार परलोक की काया पृथ्वी पर नही रहेगा। यहा पर मिट्टी का काया निर्मित होगा और बुढ़ादेव की ''काया'' (शरीर) मिट्टी का हो गया लेकिन बुढ़ादेव ईशरदेव है वह हर लोक में काया बदल सकता है। नियम यह है कि किसी दूसरे लोक की काया दूसरे लोक में नही रहेगा।

जब ईशर लोक से पृथ्वी लोक में बुढ़ादेव ने अवतार लिया तो उनका शरीर वस्त्रविहीन हो गया। अब पृथ्वी लोक पर बुढ़ादेव बिना वस्त्र के रहने लगे। नंगा रहने के कारण ही इनके वंशजों को ''नांगपुरिया'' भी कहते है। बुढ़ादेव को पृथ्वी लोक का राजा बनने का लालच था इसलिए वह बिना आवश्यक सामाग्री लिये पृथ्वी लोक पर अवतरित हो गये। अवतरण के बाद संपूर्ण पृथ्वी लोक पर विचरण करने पर उन्हें वह स्थान मिला जिन्हें इतिहासों में ''इन्दकूप'' कहा गया है, जो आज बैलाडीला बस्तर के नाम से जाना जाता है।

तत्पश्चात संपूर्ण आवश्यक सामाग्री के साथ ईशरगढ़ के बुढ़ामाण्डोव, गांवदेव, ईशर लोक से तथा देवलोक से देवचतुर्भुज, लाखाराय, सिंगाराय, इन्दर, भीमा, दिन जोन आदि ''इन्दकूप'' में अवतरित हुए। अवतरित होने के बाद सभी देवगण बुढ़ादेव से रूष्ट हो गए और सभी लोगों ने उनसे दूरी बना ली। बाद में अवतरित हुए देवगण निवास के लिये स्थान खोजने लगे। जहॉ भी जा रहे थे वहॉ बुढ़ादेव का पदचिन्ह मिल रहे थे। पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नही

जहाँ निवास किया जाये, इसलिए बाद में आए देवगण के लिये समस्या उत्पन्न हुआ और बुढ़ादेव के प्रति देवगण के भीमा सर्वाधिक क्रोधित हो गए और बुढ़ादेव को खोजने लग गया, लेकिन बुढ़ादेव वस्त्रविहीन होने के कारण लज्जा से छुपता था। अन्त में पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए सभी देवगणो को बैठक में आहूत किया गया, उस बैठक में बुढ़ादेव को भी आमंत्रित किया गया, बुढ़ादेव बैठक में आये, लेकिन वस्त्रविहीन होने के कारण सभा में शामिल न होकर एक वृक्ष के आड़ में छुपकर सबकी बातें सुनना चाह रहा था, उसी समय देवगण ने बुढ़ादेव को मामा कहकर पुकारे और देवगण बुढ़ादेव को धोती पगड़ी पहनाकर सभा में बैठाये। सभी देवगणों द्वारा बुढ़ादेव को सर्वप्रथम पृथ्वी लोक पर अवतरित होने के कारण उन्हें पृथ्वी लोक का राजा घोषित किया गया और पृथ्वी लोक पर राज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी दिन से बुढ़ादेव को बुढ़ाराजा कहा जाने लगा और वह आज भी प्रचलित है।

पृथ्वी पर सृष्टि का सृजन –

ईशरगण की ओर से बुढ़ादेव और देवगण की ओर से बलि भीमा को सृजन की जिम्मेदारी सौंपा गया। बुढ़ाराजा को जीवन संगनी के रूप में देवचतुर्भुज की पुत्री महादेवी को पटरानी के रूप उनका विवाह किया गया और इसी दिन से नातेदारी का निर्माण हुआ। ईशरकुल एवं देवकुल दोनो सगा –समधी हो गये। चतुर्भुज अपनी पुत्री महादेवी का विवाह बुढ़ादेव से कराकर उसे अपना दमाद बना लिया। बुढ़ादेव की पत्नी आगे चलकर ''बुढ़ीमाई'' कहलायी, जिसे आज कमार समाज में ''बुढ़ीमाई सेन्दरीमाता'' के रूप में सभी जगह पूजा जाता है। ईशरकुल के द्वारा पृथ्वी लोक में प्रथम खोज की शुरूआज किया गया। कमार भाषा में खोज को सोर कहा जाता है और जिन लोगो ने प्रथम खोज प्रारम्भ किया उन्हें सोरी कहकर पुकारा गया इसी दिन से कमार समाज में सोरी गोत्र का निर्माण हो गया। पृथ्वी लोक का संचालन करने के लिये नीति नियम व व्यवस्था बनाने में देवगणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस कार्य को कमार भाषा में **नेत** कहा जाता है, और जो नेतने का कार्य किया उस कुल को **नेताम** कहा गया।

गोत्र –

विशेष पिछड़ी जनजाति कमार में मुख्य रूप से दो गोत्र पाये जाते है 1. सोरी 2. नेताम सोरी गोत्र का टोटम **''मगर''** है जबकि नेताम गोत्र का टोटम **''कछुआ''** है। एक गोत्र के सदस्य आपस में एक ही पूर्वज से उत्पन्न मानते है, अतः ये आपस में रक्त संबंधी होते है।

1. सोरी गोत्र के 16 परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. भाथादिघया
2. नई पानीया
3. कुड़हाड़गाडया
4. खाटवया
5. कावड़ आम्बया
6. सेंवाया
7. सिन्धुलया
8. गोदड़या
9. खोलहया
10. गोबरया
11. पाण्डरया
12. ढोलया
13. ओडया
14. जरण्डया
15. आम्बामोवया
16. भातसिवया

2. नेताम गोत्र के 12 परिवारों को विवरण निम्नानुसार है :—

1. देवडोगरया (बांवनदेवया)
2. वावुदिघया
3. साराझरया
4. डाण्डायपानीया
5. टोहामेटया
6. कुकड़ाडिया
7. नागराडिया
8. मावया
9. आमझरया
10. बोम्बकादोनया
11. कोटनया
12. टोरीभुंइया

==0==

अध्याय – 02

परम्परागत पंचायत एवं राजनैतिक संगठन

प्रथागत कानून या परम्परा सभी जनजाति में सामाजिक रूप से प्रचलित नियम–कानून या परम्परा होती है। यह नियम या कानून समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जो उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। समाज में सभी तरह के लोग निवास करते है। अच्छे व बुरे। परम्परा या कानून समाज के अवांछित तत्वों से भी वांछित कार्य करवाने की शक्ति रखती है, यदि अवांछित तथ्यों द्वारा समाज की परम्पराओं का पालन नही किया जाता तो समाज उनके विरूद्ध कठोर कदम उठाती है, जिसमें दण्ड के रूप में समाज में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, जिससे विवश होकर समाज के नियम–कानून को मानने को बाध्य हो जाता है। परिवार या समाज में जब कोई सदस्य जन्म लेता है, तो उसे समाज की सदस्यता स्वतः प्राप्त हो जाती है और उस समाज का परम्परागत नियम कानून उन पर स्वभाविक रूप से लागू हो जाती है, जिसे मानना अनिवार्य हो जाता है।

कमार जनजाति में भी सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक जाति पंचायत होती है। परिवार का व्यक्ति उस पंचायत का सदस्य होता है। इस पंचायत प्रमुख को खुठायित कहते है। चूंकि कमार जनजाति के लोग प्रायः घने जंगलो में निवास करते है अतः इन्हें अपराधिक या फौजदारी न्यायालयों के विभिन्न कानूनो की जानकारी इन्हें नही होती। अपराधिक कृत्यों जैसे हत्या के फैसले सामाजिक स्तर पर नही लिये जाते केवल छोटे–मोटे वाद विवाद व सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन आदि समस्याओं को सुलझाया जाता है।

कमारों की प्रथागत कानूनों की प्रकृति –

कमारों की प्रथागत कानूनों की प्रकृति सामान्य नियमों तथा जनमत पर आधारित है। कमार सामाज का आकार आधुनिक समाजों की भांति विशाल नहीं है। सरल तथा छोटा होने के कारण इस समाज में सामाजिक अंतः क्रिया का क्षेत्र बहुत ही कम होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति एक–दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता और पहचनाता है और साथ ही अनेक आर्थिक तथा सामाजिक विषयों में वे एक–दूसरे पर निर्भर भी है। जहां प्रत्येक व्यक्ति एक–दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानता पहचानता है, वहाँ सामाजिक नियम को तोड़कर व्यक्ति कैसे बच

सकता है। एक समान जनमत, एक समान नियमों को जन्म देता है जो समान रूप से सब पर लागू होता है।

कमारों की परंपरागत पंचायत –

कानून, न्याय तथा सरकार किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इनके अभाव में समाज के सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार या मनमाने ढंग से काम करने के लिए स्वतंत्र हो जायेंगे जिससे समाज की संरचना नष्ट–भ्रष्ट हो जायेगी। इसके अलावा कोई बाहर का समूह भी उस पर आक्रमणकर उसे अपने अधीन कर सकता है। अतः बाहरी तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के आक्रमणों से सामाजिक संरचना में शांति एवं सुव्यवस्था की रक्षा के लिए प्रत्येक



समाज चाहे वह आदिकालीन हो या आधुनिक सभी में कानून, न्याय तथा सरकार की व्यवस्था होती है। कमारों में भी कानून, न्याय तथा सरकार की व्यवस्था परंपरागत पंचायत द्वारा होती है।

कमारों की परंपरागत पंचायत अन्य आदिम जनजातियों की तुलना में प्रबल संगठित होता है। इस पंचायत में निश्चित पदाधिकारी होते हैं, जो कानून एवं न्याय व्यवस्था को बनाये रखते हैं। इसी प्रकार नियम–कानून एवं तत्संबंधित दण्ड स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है।

परंपरागत पंचायत के पद एवं पदाधिकारी –

कमारों की परंपरागत पंचायत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पदानुक्रम पाया जाता है, पदानुक्रम इस प्रकार है :–

1. राजा
2. दीवान
3. छड़ीदार
4. चपरासी
5. कोषाध्यक्ष

इनमें से कोई भी पद वंशानुगत नहीं है सभी पदाधिकारियों की चयन की एक निश्चित प्रक्रिया कमारों द्वारा अपनाया जाता है। चुनाव प्रक्रिया में केवल परिवार के मुखिया भाग लेते हैं। महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती न ही चुनाव प्रक्रिया में और न ही पंचायती कार्यवाही में भागीदारी करने का अधिकार है।

पदाधिकारियों के लिए कोई विशेष योग्यता भी निर्धारित नहीं होता है। केवल उनके व्यक्तिक गुणों जिनके आधार पर वे जनप्रिय होते हैं, को ध्यान में रखकर चुना जाता है, अर्थात लोकप्रिय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है।

कमार जनजाति में परंपरागत पंचायत की भूमिका ग्राम में जाति पंचायत –

ग्राम में निवासरत कमार जनजाति के लोग प्रायः अपनी समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करते है। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सदस्यों द्वारा बैठक बुलाया जाता है। जहॉ चुने गए सदस्य समस्या पर विचार करते है व दोषी पाये जाने पर सामाजिक नियम निर्देश के अनुरूप दण्ड दिया जाता है। कमार जनजाति में ग्राम स्तर पर निम्नांकित कार्य किये जाते है।

1. पूजा हेतु धन एकत्रित करना।

2. सामाजिक रीति–रिवाज की जानकारी देना।
3. सगोत्र विवाह को रोकना।
4. जातिगत विवादो को सुलझाना।
5. अन्तर्जातीय विवाह को रोकना।
6. अन्य जातियों से वाद–विवाद को रोकना।



सर्कल स्तर –

प्राय 4 व 5 गांव मिलाकर सर्कल स्तर का संगठन बनाया जाता है। सर्कल स्तर में 12 से अधिक गॉव नही हो सकते। इनका कार्य भी ग्राम स्तर के समान है। किसी प्रकरण का समाधान ग्राम स्तर पर नही होने की स्थिति में उसका निपटारा सर्कल स्तर पर किया जाता है।

क्षेत्रीय स्तर – मैनपुर विकासखण्ड में तीन क्षत्रीय स्तर है –

I. **क्षेत्रीय** – पहाड़ राज– इसमें 5 सर्कल है। कुल्हाड़ीघाट, देवडोंगर, तुहामेटा, सिंहार छिदौला धवलपुर।

II. **बेहराडीह** – इनके अंतर्गत 4 सर्कल आते है– बेहरडीह बड़े गोबरा पेण्ड्रा, तौंरेंगा, गोनाभाठापानी।

III. **कांदाडोगर** – इनके अंतर्गत 4 सर्कल आते है बुडगेल तथा सर्दीपारा, कोहिमार बुरजाबहाल

ब्लॉक स्तर –

कमार जनजाति समाज में महासभा का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। इनका कार्य सर्कल व क्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रण रखना है। ऐसे मामला व प्रकरण जिनका निपटारा सर्कल व क्षेत्रीय स्तर पर नही होता ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर तीन पद होते है। (अ) अध्यक्ष–1, (ब) उपाध्यक्ष–2

जिला स्तर – जिला स्तर का कार्य –

1. जिला स्तर का कार्य ब्लॉक व सर्कल स्तर का निगरानी करना है।
2. सभी ब्लॉक स्तरीय समस्याओं का समाधान करना।
3. प्रशासकीय कार्य जैसे समाज की समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराना है।
4. अपने से नीचे स्तर के बैठको में भाग लेना।

वर्तमान में जिला स्तर का अध्यक्ष नेवतु राम नेताम है।

प्रदेश स्तर –

सभी जिला को मिलाकर एक प्रदेश स्तरीय संगठन होता है, इनका कार्य है जिलो के द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यो का निरीक्षण करना। समाज से संबंधित प्रशासकीय कार्य करना व समाज में होने वाले अन्तर्जातीय विवाह में हस्तक्षेप करना। वर्तमान में प्रदेश स्तर में निम्नांकित पद है।

अध्यक्ष – रमेश कुमार नेताम

उपाध्यक्ष– 1. बैसाखू राम सोरी

2. मेहत्तर राम नेताम

3. बुधलाल नेताम

महासचिव – दयालु राम नेताम

सहसचिव– शिकुमार नेताम

कोषाध्यक्ष– देश राम कमार

राष्ट्रीय स्तर व केन्द्रिय–

कमार जनजाति में केन्द्रिय पंचयायत होती है। ऐसी समस्याए जिनका निराकरण निचले स्तर पर नही होता केन्द्रिय जाति पंचायत के समक्ष रखे जाते है। केन्द्रिय जाति पंचायत द्वारा जाति से संबंधित अपील एवं सामाजिक नियमों का पालन करवाना आदि कार्य किये जाते है।

सदस्य संख्या – केन्द्रीय जाति पंचायत में अधिकतम 6–8 सदस्य होते है। वर्तमान में केन्द्रिय पंचायत में निम्नांकित पद है –

अध्यक्ष –	बनसिंह सोरी	–	(कुल्हाड़ीघाट)
उपाध्यक्ष–	1.बैसाखु राम सोरी	–	छत्तीसगढ़
	2. लक्ष्मण नेताम	–	उडीसा
महासचिव –	गांडाराय सोरी	–	बोईरगांव
सहसचिव –	1. करण सिंह नेताम	–	छत्तीसगढ़
	2. इन्द्र कुमार सोरी	–	उडीसा

कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करना –

कमार जनजाति में केन्द्रीय जाति पंचायत के सदस्यों पदाधिकारियों का चुनाव उनकी योग्यता व कार्यो को देखकर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव हेतु कुछ निर्धारित योग्यताएँ बनाई गई है, जो निम्नानुसार है –

1. कमार जनजाति का बुजुर्ग व प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
2. सामाजिक नियमों का अच्छी जानकारी रखता हो।
3. आपराधिक प्रवृत्ति का न हो।
4. न्यायप्रिय व ईमानदार हो।
5. चरित्रवान होना चाहिए।

पंचायती कार्यकाल –

कमार जनजाति के जाति पंचायत में किसी व्यक्ति का कार्यकाल पद निश्चित नही होता है। समाज में जो व्यक्ति योग्य है, निस्वार्थ भाव से काम करता है तथा सही व गलत की परख रखता हो उसे ही आगे की अवधि के लिए पुनः चुन लिया जाता है चुने हुए व्यक्ति द्वारा सही कार्य नही किये जाने पर कभी भी उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाता है व समाज के अन्य सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है।

केन्द्रीय पंचायत का कार्यकाल -

कमार जनजाति केन्द्रिय पंचायत का कोई निश्चित अवधि नही होती है, कमार जनजाति के लोग प्रायः अशिक्षित होते है इसलिए अधिक प्रतियोगी नही होते है, जो व्यक्ति पद के लिए नामित होता है सामाजिक रूप से उपस्थित व्यक्ति हाथ उठाकर उसका समर्थन करते है।

बसका (बैठक) –

केन्द्रीय कमार समाज की एक वार्षिक आम बैठक होती है, जो हर वर्ष अलग–अलग स्थानों पर होती है। इसके अतिरिक्त बहुत आवश्यक होने पर बसका (बैठक) कभी भी आहूत की जा सकती है। सभा में पदाधिकारी व सामाजिक सदस्य उपस्थित होते है। आम सभा के अपीलीय प्रकरण व नये सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है तथा नियमों में बदलाव या संशोधन के संबंध में सुझाव मांगे जाते है।

==0==

अध्याय – 03

प्रथागत नियम–कानून

1. विवाह से संबंधित प्रथागत नियम–कानून –

कमार जनजाति में विवाह से संबंधित निश्चित नियम कानून है, जिनका पालन करना समाज के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है, जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज उन्हें उचित दण्ड देती है। समाज में पाए जाने वाले विवाह के प्रकार पर प्रथागत नियम–कानून का प्रभाव।

अ. सगोत्र विवाह रोकना –

कमार जनजाति में एक ही गोत्र वाले लड़का–लड़की के विवाह को वर्जित माना गया है। यदि कोई सदस्य अपने ही गोत्र में विवाह करता है, तो परिवार एवं समाज दोनों से पृथक कर दिया जाता है। यदि कोई परिवार उन्हें अपने साथ रखने का प्रयास करती है तो उस परिवार को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। परंपरागत पंचायत में संबंधित व्यक्ति द्वारा समाज में शामिल करने बाबत अपील किया जाता है, तब भी समाज उन्हें नहीं अपनाती है, अर्थात सगोत्र विवाह करने वालों को उनके जीवन काल तक समाज से बहिष् त कर दिया जाता है परंतु उनके बच्चों को समाज के समक्ष अपील करने पर सामाजिक रीति–रिवाज से समाज में शामिल किया जाता है।

कमार समाज ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं करती है बल्कि ऐसे विवाह को रोकने के लिए समाज में कठोर दंड का प्रावधान है जिससे कि समाज का कोई सदस्य इसे दोहराने का प्रयास ना करें जैसे – अधिक अर्थदंड व विवाह को अवैध घोषित करना, समाज से बहिष्कृत कर देना आदि है।

सगोत्र विवाह संबंधी व्यक्तिक अध्ययन

1. पति फागूराम नेताम – 32 वर्ष
   पत्नी – लीला बाई – 29 वर्ष
   ग्राम बेहराडीह

2. पति – मानसिंह नेताम – 27 वर्ष
   पत्नी – चंद्रिका नेताम – 24 वर्ष
   ग्राम डूमरघाट
3. पति – तीजे लाल नेताम – 30 वर्ष
   पत्नी – देवंतीन नेताम – 27 वर्ष
   ग्राम बेहराडीह

2. पुनर्विवाह से संबंधित प्रथागत नियम–कानून

कमार जनजाति में एक से अधिक विवाह करना सामान्य घटना है। पुरुष एक साथ एक से अधिक पत्नी रख सकता है, परंतु स्त्री की एक समय में एक ही पति होता है। पुरुष के पुनर्विवाह को विवाह से ही संबोधित किया जाता है, जबकि महिला के पुनर्विवाह को **"चुड़ी–विवाह"** कहा जाता है। जब कोई पुरुष कुंवारी लड़की के अलावा किसी भी स्त्री (जैसे विवाहित, विधवा, परित्यक्ता) से विवाह करता है, तो उसे विवाह की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाना पड़ता है केवल चुड़ी पहनाना पड़ता है। इसलिए इसे "चुड़ी–विवाह" कहा जाता है। इसी प्रकार चुड़ी स्वीकार करने वाली स्त्री के लिए पत्नी शब्द संबोधित नहीं किया जाता है, अपितु "चुरयाही" कहा जाता है। चुड़ी पहनाने का रिवाज समाज के साक्ष्य में होता है।

विवाह के समान ही पुनर्विवाह में भी गोत्र व अंतर्जातीय विवाह के नियमों का पालन किया जाता है।

अ. पुरुष द्वारा पुनःविवाह

कमार जनजाति में एक से अधिक पत्नी रखना सामान्य बात है, फिर भी विवाह से पूर्व पहले पत्नी की सहमति समाज को बताना आवश्यक होता है। समाज द्वारा पुनः विवाह की अनुमति तभी दिया जाता है, जब पहली पत्नी अस्वस्थ या अपंग हो जाये अथवा कोई संतान ना हो रहा हो ऐसी स्थिति में वर्तमान पत्नी की छोटी बहन से विवाह को समाज प्राथमिकता देता है जिसे "साली–विवाह" कहते हैं। पत्नी के कोई बहन नहीं होने की स्थिति में अन्य लड़की से विवाह कराया जाता है। समाज दो से अधिक पत्नी रखने की अनुमति नहीं देता है। कुछ विशेष स्थिति में ही अनुमति प्राप्त होती है, बगैर अनुमति यदि कोई ऐसा करता है तो समाज उसे दण्डित करता है।

यदि कोई व्यक्ति ऐसी महिला से विवाह करता है जो पहले से विवाहित हो और अपने पति के साथ रह रही हो तो उस महिला के वर्तमान पति को विवाह का पूरा खर्च उस महिला के पूर्व पति को लौटाना पड़ता है, इस राशि को स्थानीय बोली में ''ब्याहतरी'' कहा जाता है

ब. महिला द्वारा पुनःविवाह

कमार जनजाति में ज्यादातर महिलाएं एक पति के जीवित रहते दूसरी विवाह नहीं करते, परंतु पति से कलह होते रहना या अन्य पुरुष के साथ जीवन जीने की राजी खुशी सहमति बन जाने पर पुनर्विवाह कर सकती है। शर्त केवल इतना है कि भावी पति द्वारा पूर्व पति को विवाह का पूरा खर्च लौटाना पड़ता है।

यदि महिला का कोई बच्चा हो तो उसे भी भावी पति को अपनाना होता है, परंतु इस नियम का कठोरता के साथ पालन नहीं कराया जाता।

3. तलाक एवं परित्यक्ता संबंधी प्रथागत नियम–कानून

तलाक एवं परित्यक्ता संबंधी विवादों का निराकरण परंपरागत पंचायत द्वारा किया जाता है। अलग–अलग रहने की अपील पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है पर अपीलकर्ता को अलग होने का ठोस कारण बताना होता है, जिसके आधार पर पंचायत तय करती है कि दोनों का साथ–साथ रहना उचित है, कि अलग–अलग। निम्नलिखित कारणों की पुष्टि होने पर परंपरागत पंचायत पति पत्नी को अलग रहने का निर्णय सुनाता है। पति–पत्नी को अलग अलग रहने संबंधी निर्णय देने का मुख्य कारण निम्नलिखित है –

i पति–पत्नी के बीच यदि असामंजस्य की स्थिति पैदा हो गई हो जिसकी वजह से रोज झगड़ा होता है।

ii यदि पत्नी ज्यादातर अस्वस्थ रहती हो या किसी कारणवश अपंग हो जाये जिससे घरेलू कामकाज को पूरा करने में असुविधा होती है।

iii यदि दंपत्ति की संतान ना हो रही हो।

iv पत्नी की सहमति के बगैर पति दूसरी पत्नी ले आये।

v पति अथवा पत्नी का विवाह पूर्व यदि किसी अन्य से शारीरिक संबंध रहा हो जिसका खुलासा हो जाने पर उनके बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो गई हो।

vi विवाह पश्चात दोनों में से कोई भी व्यभिचार का दोषी पाया जाये।

vii रोज–रोज पत्नी की पिटाई करना या अन्य रूप से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देना।

पति–पत्नी के विवाद में समाज की राय प्रायः दोनों को साथ–साथ रखने की होती है। इसलिए दोष की पुष्टि व दोषी सिद्ध होने पर भी यही सलाह देता है कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, समझ कर माफ कर दो और दोनों राजी खुशी साथ–साथ रहो। परंतु अपीलकर्ता द्वारा समाज की सलाह नहीं मानने की स्थिति में एक इकरारनामा के द्वारा दोनों को अलग–अलग रहने की स्वीकृति दे दी जाती है। यदि अपीलकर्ता पत्नी हो और दोषी पति हो तो वह पति के संपत्ति से अपना बंटवारा मांग सकती है। इस स्थिति में पति को अपनी संपत्ति का बंटवारा पत्नी को देना पड़ता है। संपत्ति नहीं होने की स्थिति में पत्नी को हर्जाना की राशि दिया जाता है। इस धनराशि को स्थानीय भाषा में ''छूट–दान'' (छूट–अलग होना) कहा जाता है। जो दोषी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

पंचायत से बिना अनुमति लिए या अलग–अलग हुए बगैर यदि पत्नी अन्य पुरुष के साथ रहने लगे या चुड़ी स्वीकार कर लेती है तो पंचायत उसे दण्डित करती है और हर्जाना स्वरूप ''ब्याहतरी'' लौटाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पुरुष दूसरी पत्नी ले आए तो उसे भी ''ब्याहतरी'' का खर्च लौटाना पड़ता है।

4. अंतर्जातीय विवाह में प्रथागत नियम–कानून

कमार जनजाति में अंतर्जातीय विवाह मान्य नहीं है। यदि कमार जनजाति का कोई लड़का अन्य समाज के लड़की से विवाह करता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। 1 वर्ष या 6 माह बाद दोषी व्यक्ति द्वारा समाज में अपनाए जाने हेतु परंपरागत पंचायत में अपील करता है, जिसकी सुनवाई कमारों की वार्षिक बैठक में होती है। कमार जनजाति में केवल ''पानी अछरा'' को ही समाज में मिलाया जाता है। ''पानी अछरा'' से तात्पर्य ऐसे जाति से है जिनके साथ कमार लोगों का खान–पान संबंध होता है। अपनी जाति से निम्न जाति जैसे – सतनामी, गांड़ा, घसिया, नाई एवं धोबी आदि समाज की लड़की को नहीं मिलाया जाता।

यदि कमार जनजाति की लड़की अन्य जनजाति के लड़के से विवाह करती है तो समाज उस लड़की से सदा के लिए नाता तोड़ लेती है, अर्थात समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करती।

5. गोद लेने संबंधी प्रथागत नियम–कानून

कमार जनजाति में बच्चे गोद लेने की प्रथा बहुत कम है। यदि गोद लेते भी हैं तो लड़के को गोद लेना पसंद करते हैं और प्रायः रक्त संबंधी जैसे – भाई के बच्चे को प्राथमिकता देते हैं। अपने समुदाय से बाहर के बच्चे को गोद नहीं लेते हैं। क्योंकि इनमें ऐसी धारणा है कि केवल रक्त संबंधी ही गोद लिए माता पिता की मृत्यु होने पर ''चोटी'' (केश) दान कर सकता है। यदि कोई दंपत्ति जिसके बच्चे ना हो रहे हो तो उन्हें परंपरागत पंचायत के समक्ष गोद लेने संबंधी इकरारनामा देना पड़ता है, तत्पश्चात समाजिक भोज का आयोजन किया जाता है।

बच्चे गोद लेने के पश्चात यदि महिला मां बन जाती है अर्थात स्वयं के उसके बच्चे हो जाते हैं तो गोद लिए बच्चे एवं जन्म लिए बच्चे दोनों का संपत्ति में समान अधिकार माना जाता है। गोद लिए बच्चे के बड़े हो जाने पर यदि उसे जन्म दिए माता–पिता वापस लेना चाहे तो बच्चे के लालन–पालन का पूरा खर्च गोद लिए माता–पिता को लौटाना पड़ता है। यदि खर्च की राशि निर्धारित करने में आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में परंपरागत पंचायत की सहायता ली जाती है। यह पंचायत बच्चे को जन्म देने वाले माता–पिता की आर्थिक स्थिति और पालन पोषण करने वाले माता–पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर राशि तय की जाती है। इस धनराशि को ''नुकसानी'' कहा जाता है।

6. निवास संबंधी प्रथागत नियम–कानून

कमार जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। अर्थात विवाह उपरांत पुत्र अपनी पत्नी सहित पिता के निवास स्थान में रहता है। इस प्रकार पुत्री विवाह के पश्चात अपने पिता के निवास ग्राम को छोड़ पति के निवास ग्राम में रहने लगती है। कमारों में पैतृक निवास बहुत छोटा होता है। इसलिए विवाह के पश्चात पुत्र के लिए अलग निवास बनाया जाता है, जो पितृनिवास से जुड़ा हुआ अथवा उसी गांव में अन्यत्र हो सकता है।

7. संपत्ति संबंधी प्रथागत नियम–कानून

कमाार जनजाति में दो प्रकार की संपत्ति पाई जाती है –

i चल संपत्ति – ऐसी संपत्ति जो चलायमान है जैसे– गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, साइकल, रेडियो, घड़ी आदि।

ii अचल संपत्ति – ऐसी संपत्ति जो एक ही जगह स्थिर रहता है। जैसे – घर एवं जमीन जायदाद।

संपत्ति हस्तांतरण से अभिप्राय प्रायः अचल संपत्ति के हस्तांतरण से होता है। चल संपत्ति यदि एक से अधिक हो और दो भाई हो तो दोनों को एक–एक एवं एक ही होने पर एक भाई को संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि दे दी जाती है।

संपत्ति हस्तांतरण का नियम –

कमार जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। अर्थात पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। पुत्री को पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो केवल पुत्री हो तो इस स्थिति में पैतृक संपत्ति का हकदार पुत्री ही होती है और एक से अधिक पुत्री होने पर सभी में समान रूप से संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। परंतु जिस व्यक्ति के पुत्र एवं पुत्री दोनों हों वहां संपत्ति का हस्तांतरण केवल पुत्रों में होता है, फिर भी यदि पिता अपनी इच्छा से पुत्रियों को भी संपत्ति का बंटवारा देना चाहे तो पुत्र कोई आपत्ति नहीं करते हैं।

संपत्ति का हस्तांतरण सभी पुत्रों में समान नहीं होता है, अपितु सबसे बड़े पुत्र को अन्य पुत्रों से कुछ अधिक संपत्ति दी जाती है। इस अतिरिक्त संपत्ति को ''जेठौसी'' कहते हैं। ''जेठौसी'' कितना अधिक होता है यह पिता पर निर्भर करता है। प्रायः संपत्ति का 10–20 प्रतिशत ही अधिक होता है। ''जेठौसी'' देने पर अन्य पुत्रों को कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि ''जेठौसी'' देने का तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठ पुत्र बुढ़े माता–पिता का पालन पोषण करता है और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार करता है। दोनों ही कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, इसलिए अतिरिक्त संपत्ति दी जाती है। अन्य तर्क के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र अन्य बच्चों के

लालन–पालन में पिता का सहयोग करता है, इसलिए भी वह अतिरिक्त संपत्ति लेने का अधिकारी होता है। ''जेठौसी'' लेना एक प्रकार का इकरारनामा या वादा है कि वह बूढ़े माता–पिता का मृत्युपर्यांत पालन पोषण करेगा और मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार। यदि ज्येष्ठ पुत्र माता–पिता का पालन पोषण करने से इंकार कर दें अथवा माता–पिता अपनी इच्छा से अन्य पुत्र के साथ रहना चाहे तो ''जेठौसी'' स्वरूप दी गई संपत्ति अभीष्ट पुत्र को दी जाती है।

इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में निम्न सदस्यों को भी संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है –

पुत्री को बंटवारा –विवाह पश्चात यदि पुत्री के कोई बच्चे ना हो और पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्री को पैतृक संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है।

पत्नी को बंटवारा – पति की मृत्यु पश्चात यदि कोई पत्नी अकेली रहना चाहे अर्थात किसी भी पुत्र के साथ रहने से इंकार कर दें तो उसे संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है।

अविवाहित भाई बहन को बंटवारा – जब भाई–बहन छोटे हो और माता–पिता की मृत्यु हो जाये तो उनके पालन–पोषण का भार ज्येष्ठ पुत्र उठाता है और विवाह उपरांत यदि वे अलग रहना चाहे तो उन्हें संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है। बहन को संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया जाता है, केवल उसके विवाह का खर्च उठाया जाता है।

परित्यक्ता महिला को बंटवारा – परित्यक्ता महिला यदि पुनर्विवाह नहीं करती है और उसकी देखरेख करने वाला कोई ना हो तो उसे भी संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है जो प्रायः अलग होने के समय ही दे दिया जाता है। परित्यक्ता महिला के यदि कोई बच्चा हो तो उसे पैतृक संपत्ति का सामान हिस्सा बंटवारे के रूप में दिया जाता है।

गोद लिए बच्चे को संपत्ति का बंटवारा – गोद लिए बच्चे को संपत्ति का सामान हिस्सा बंटवारे में दिया जाता है।

समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को बंटवारा – समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है अर्थात समाज से बाहर होने के बावजूद वह पैतृक संपत्ति का दावेदार होता है।

8. सामाजिक कलह से संबंधित प्रथागत नियम–कानून

अ. विवाह अतिरिक्त शारीरिक संबंध –

कमार जनजाति में सभ्य समाजों के अनुरूप ही विवाह अतिरिक्त संबंध को अपराध माना जाता है और इस प्रकार संबंध रखने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जाता है। निकटता भिगमन की स्थिति में जैसे – भाभी, बहू, भाई–बहू, बहन से शारीरिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज में शामिल करने के लिए अर्थदंड एवं सामाजिक भोज लिया जाता है।

ब. बालात्कार–

बालात्कार की घटना कमार में बहुत कम पाई जाती है। फिर भी यदि बालात्कार की घटना से पीड़िता गर्भवती हो जाए तो उससे उस व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। परंतु यदि पीड़िता अन्य जनजाति या जाति से संबंधित हो तो उसे केवल हर्जाना दिया जाता है, विवाह नहीं किया जाता।

स. गर्भपात –

गर्भपात की स्थिति तब निर्मित होती है जब महिला एवं पुरूष के बीच अवैध संबंध के फलस्वरूप महिला गभर्वती हो। इस संबंध को छुपाने के लिए गर्भपात कराया जाता है। गर्भपात के लिए कुछ स्थानीय जड़ी–बुटी पाया जाता है, जिन्हें स्थानीय बैगा से प्राप्त करते हैं।

द. हत्या–

कमार जनजाति में मारपीट के दौरान व द्वेषवश किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी सूचना गांव के कोटवार द्वारा संबंधित पुलिस थाना को दे दी जाती है, इसमें परंपरागत जाति पंचायत कोई हस्तक्षेप नहीं करती।

य. वाद–विवाद –

वाद–विवाद एवं सामान्य मारपीट की घटनाओं का निराकरण परंपरागत पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत दोनों पक्षों से वाद–विवाद का कारण जानकर दोषी व्यक्ति से घटना की समस्यानुसार आर्थिक दण्ड लिया जाता है।

र. चोरी –

कमार समाज में चोरी का स्वरूप आधुनिक समाज से भिन्न होता है इनके समाज में रूपये की चोरी एक दुर्लभ घटना है। किसी सामुहिक संपत्ति जिसका उपयोग सभी कमार सदस्य मिलकर करते हैं उसका व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना चोरी कहलाता है। जैसे – किसी तालाब में मछली पकड़ना प्रतिबंधित हो फिर भी कोई व्यक्ति मछली पकड़े तो उसे चोरी कहते हैं। इसी प्रकार जंगल में दूसरे द्वारा चिन्हित पेड़ के नीचे से "महुआ" बीन लाना चोरी कहलाता है।

इस प्रकार के चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर लिये जाने पर परंपरागत पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंचायत चोरी के स्वरूप अनुसार हर्जाना की राशि तय करती है।

ल. भगाकर विवाह करना–

कमार समाज में यदि कोई सदस्य अपने ही जनजाति समुदाय की ऐसी लड़की जिसका गोत्र अलग हो को भगाकर विवाह करता है, तो समाज इसे बहुत बड़ी घटना नहीं मानते और दोनों का औपचारिक रूप से विवाह कर देते हैं। परंतु यदि कोई सदस्य अन्य जनजाति, जाति या अपने ही गोत्र की लड़की को भगाकर विवाह करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उन्हें पुनः समाज में शामिल करने के लिए अर्थदंड एवं समाजिक भोज लिया जाता है।

व. जादू–टोना–

कमार जनजाति की संस्कृति में जादू टोना पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है। उनके बीच में कुछ भी अप्रिय घटना घटित होती है अथवा कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसका कारण जादू–टोना को ही माना जाता है। जादू–टोना करने वाले व्यक्ति गुप्त रूप से अपने क्रियाकलाप को अंजाम देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि वह जादू–टोना जानता है अथवा करता है। उनके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसके आधार पर केवल संदेह किया जाता है और परोक्ष रूप से उसे गाली–गलौज करता रहता है, इस कारण यदि कलह बढ़ जाता है तो परंपरागत पंचायत दोनों को समझाइश देकर समस्या का निराकरण करने का प्रयास करती है। चूंकि जादू–टोना

करने वाला का दोष सिद्ध नहीं हो पाता, अतः पंचायत कोई दण्ड या हर्जाना निर्धारित नहीं करती।

9. गौ–हत्या में प्रथागत नियम–कानून–

कमार जनजाति में यदि किसी सदस्य द्वारा अनजाने में भी गौ–हत्या हो जाती है, तो उसे महापाप माना गया है। गौ–हत्या करने वाले व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करते हुए प्रायश्चित करना पड़ता है। सामाजिक नियमानुसार गौ–हत्या के दोषी व्यक्ति गाय–बैल की आवाज निकाल कर दो–चार गांव से अन्न मांगते हुए किसी पवित्र स्थान जैसे – पताल गंगा, सिरपुर, राजिम आदि जाते हैं, वहाँ पर सोनवानिया (अन्य गोत्र वाले) के द्वारा दोषी व्यक्ति का मुंडन संस्कार किया जाता है। दोषी व्यक्ति के शरीर के सारे कपड़े को नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। तत्पश्चात दोषी व्यक्ति को सोनवानिया द्वारा दूध व पानी से सिंचन कर पापों से मुक्त किया जाता है। गौठान में सामाजिक भोज दिया जाता है, प्रतीकात्मक स्वरूप एक–दो गाय–बैल को भी खाना खिलाया जाता है।

10. फुल पड़ना (कीड़ा लगना)–

कमार समाज में यदि किसी सदस्य के शरीर में घाव हो और उसमें कीड़ा लग जाए तो इसे समाज भगवान द्वारा दिया गया दण्ड मानते हैं। पीड़ित व्यक्ति सर्वप्रथम घटना की जानकारी समाज को देता है, जिससे कि समाज वाले मार्गदर्शन दे सकें फिर सोनवानिया के द्वारा नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के बर्तन में ''भात'' (चावल) बनाया जाता है। भात बनाते समय मुर्गी के चूजे को जिंदा डालकर और पकाया जाता है। तत्पश्चात पीड़ित व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में बने भात को पैर से रौंदते हुए 7 भांवर घूमकर तालाब या नदी के किनारे खड़ा हो जाता है, जिसे सोनवानिया द्वारा दूध व पानी का सिंचन कर शुद्ध किया जाता है। फिर पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक भोज देना पड़ता है जिसे ''मोक्षीभात'' कहते हैं। इस दिन सोनवानिया के द्वारा बकरा, मुर्गा, बरहा आदि का बलि दिया जाता है। फूल पड़ना में यद्यपि दण्ड लेने का कोई सामाजिक प्रावधान नहीं है केवल पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है।

यदि फुल (कीड़ा) मृत व्यक्ति पर पड़ता है तो भी मृतका के परिवार वालों को उक्त नियम का पालन करना पड़ता है। पर यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

11. रजस्व स्त्री को मारना–

कमार जनजाति में रजस्वला को अशुद्ध माना जाता है एवं उनका देवस्थान, रसोई कक्ष में प्रवेश, पानी भरना आदि का निषेध है। पांच दिन बाद महिला अपने बालों को मिट्टी से धोकर शुद्ध हो जाती है। यदि इस दौरान कोई पुरुष महिला को मारता है, तो समाज उसे भी अशुद्ध मानकर सामाजिक नियमों के तहत उनका शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नदी या तालाब के किनारे दोषी व्यक्ति को सोनवानिया के द्वारा दूध व पानी का सिंचन कर शुद्धिकरण किया जाता है। यदि कोई सदस्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाने से इंकार करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसमें आर्थिक दण्ड व सामाजिक भोज का प्रावधान नहीं है।

12. माता–पिता को हाथ लगाना–

कमार जनजाति में यदि कोई सदस्य अपने माता–पिता को मारता पीटता है तो उसे गौ– हत्या के बराबर पाप लगता है। परंपरागत पंचायत में दोषी व्यक्ति को बुलाया जाता है तथा उसे सामाजिक भोज का दण्ड दिया जाता है, इसमें एक पत्तल के भोजन को समाज के पांच लोग मिलकर खाते हैं और दोषी व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित धनराशि इसी पत्तल के नीचे रख देता है।

13. चप्पल से मार खाने में प्रथागत नियम–कानून –

कमार जनजाति में चप्पल पहनना वर्जित है, क्योंकि चप्पल चमड़े का बना होता है, चप्पल से मार खाने वाले सदस्य को अशुद्ध माना जाता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के अनुरोध पर समाज के सदस्यों को चप्पल पहनने की इजाजत दी गई है। चप्पल से मार खाने वाले व्यक्ति का सोनवानिया के द्वारा दूध व पानी से सिंचन कर शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात सामाजिक भोज दिया जाता है तथा दण्ड की राशि पीड़ित व्यक्ति पत्तल के नीचे रख देता है।

14. जेल से वापस आने पर प्रथागत नियम–कानून–

कमार समाज में जब किसी सदस्य को जेल हो जाता है और वह जेल से छूट कर वापस आता है तो समाज उसे सहर्ष स्वीकार नहीं करती क्योंकि दोषी व्यक्ति का जेल में अन्य ऊंच–नीच जातियों के साथ खानपान संबंध होने के कारण उसे अशुद्ध माना जाता है।

सोनवानिया के द्वारा दूध व पानी का सिंचन करने के उपरांत ही घर में प्रवेश दिया जाता है, इसमें सामाजिक दण्ड का प्रावधान नहीं है।

15. देव स्थानों का अपमान करने पर प्रथागत नियम–कानून–

कमार जनजाति के डुम्बागाता, भीमसेनगुड़ी, मातीघर, माता–देवाला, ठाकुर देव, मऊली माता, गढ़देव आदि इनके प्रमुख देवी–देवता है। यदि कमार समाज का कोई सदस्य इन देव स्थानों का अपमान करता है तो उसे उस देव की पूजन सामग्री का दण्ड दिया जाता है, अर्थात उसकी पूजा–पाठ का पुरा खर्च अपमान करने वाले व्यक्ति को उठाना पड़ता है। जिस देव का अपमान किया जाता है उस देव में चढ़ने वाले नारियल, बकरा, मुर्गी, बरहा आदि का बलि देकर क्षमा याचना किया जाता है और यदि कोई सदस्य ऐसा करने से इंकार करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

16. प्रकृति के संबंध में प्रथागत नियम–कानून–

कमार जनजाति के लोगों का प्रकृति पर अत्यधिक आस्था व विश्वास होती है। अतः यह प्रकृति पूजा करने वाले होते हैं। जैसे – नदी, पर्वत, जंगल, तालाब, झरिया आदि की देववास मानकर पूजा की जाती है।

वट वृक्ष –

कमार जनजाति के लोग वटवृक्ष को नहीं काटते और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। इसे बूढ़ा राजा का वास मानकर इसकी पूजा की जाती है।

साजा–बांस–जामुन वृक्ष–

साजा–बांस–जामुन को पितृ वंश माना जाता है अर्थात पूर्वजों का वास माना जाता है।

नीम वृक्ष –

नीम वृक्ष को शितला माता का वास मानकर उसकी पूजा की जाती है।

बेल वृक्ष –

बेल वृक्ष के पत्ते का उपयोग देव–भोग के लिए किया जाता है।

धनबहार –

धनबहार के पत्ते का उपयोग शुद्धिकरण के लिए सिंचन करने में किया जाता है।

आंवला वृक्ष –

कमार समाज में आंवला वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया है। विभिन्न अवसरों पर आंवला पत्ते को देवी–देवताओं पर चढ़ाया जाता है। कमार समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में शुद्धिकरण के लिए आंवला पत्ते को पीसकर टीका लगाया जाता है।

17. सामाजिक धार्मिक मुखिया संबंधी प्रथागत नियम–कानून

अ. धार्मिक मुखिया –

धार्मिक मुखिया को ''डिहबैगा'' कहते हैं, जिसका उत्तराधिकारी

वंशानुगत होता है, अर्थात मुखिया का बेटा ही मुखिया बनता है। सभी पुत्र मुखिया बनने के अधिकारी नहीं होते हैं। यह अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पुत्र के किसी भी प्रकार से अयोग्य होने की स्थिति में ही अन्य पुत्र को मुखिया बनाया जाता है।

ब. राजनीतिक मुखिया –

राजनीतिक मुखिया को राजा कहते हैं। राजा का पद वंशानुगत न होकर चुनाव के आधार पर होता है। चुनाव में प्रत्येक परिवार का बुजुर्ग या मुखिया सदस्य ही भाग लेते हैं। महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।

18. निषेध संबंधी प्रथागत नियम–कानून–

प्रत्येक समुदाय में कुछ निश्चित निषेध अवश्य पाए जाते हैं। निषेध संबंधी नियमों का पालन करना समुदाय के सभी लोगों के लिए अनिवार्य होता है। कमार समाज में पाए जाने वाले कुछ निषेध इस प्रकार हैं –

अ. यौन संबंधों में निषेध–

कमार जनजाति में यौन संबंधी बहुत ही कठोर नियम पाए जाते हैं और पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति को व्यभिचारी माना जाता है। कमार समाज में निकिटा भिगमन रखने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं।

ब. खानपान संबंधी निषेध–

कमार जनजाति के लोग अपने टोटम (गोत्र चिन्ह) जीव का मांस नहीं खाते हैं। अलग–अलग गोत्र का अलग–अलग टोटम है, जैसे – यदि किसी का टोटम ''कछुआ'' है तो उस गोत्र के लिए ''कछुआ'' का मांस खाना वर्जित है, बल्कि उस जीव की पूजा की जाती है। इसके अलावा गाय, बंदर, भालू, सियार आदि का मांस खाना निषेध है।

स. बीमारी के दौरान खानपान संबंधी निषेध–

विभिन्न बीमारियों के दौरान भिन्न–भिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन निषेध है, क्योंकि खानपान से स्वास्थ बहुत अधिक प्रभावित होता है, जैसे – बुखार होने पर मछली एवं मुर्गी का मांस नहीं खाया जाता है क्योंकि इनके अनुसार मछली एवं मुर्गी का मांस गर्मी करता है इससे बुखार और भी बढ़ जाता है इसी प्रकार सर्दी होने पर बैगन की सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि इनके अनुसार बैगन सर्दी बढ़ाने वाली सब्जी है। अतः इसके सेवन से सर्दी और बढ़ जाती है।

द. पूजा पाठ के दौरान खानपान संबंधी निषेध–

कमार जनजाति के लोग दो प्रकार के देवी–देवताओं की पूजा करते हैं, पहला जो उनके समाज में प्रचलित है, जैसे – पूर्वज या ग्रामदेवता, दूसरा हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाली देवी–देवता। कमार जब हिंदू देवी–देवताओं की पूजा करते हैं तो उस समयावधि में शराब एवं मांस का सेवन नहीं करते हैं जैसे नवरात्रि गणेश चतुर्थी आदि के दौरान शराब व मांस का सेवन नहीं किया जाता है।

य. सामाजिक व्यवहार में निषेध

कमारों में सामाजिक व्यवहार के दौरान कुछ रिश्तो में हास परिहास निषेध होता है। जैसे – बहू का जेठ एवं ससुर के साथ। दामाद का सास एवं डेड़सास (पत्नी की बड़ी बहन) के साथ परिहास करना निषेध होता है।

==0==

अध्याय – 04
प्रथागत नियम–कानून में परिवर्तन

1. परम्परागत एवं आधुनिक पंचायत के विरोधाभाष :–

परम्परागत एवं आधुनिक पंचायत में बहुत सारी गतिविधियाँ एक–दूसरे से भिन्न है। परम्परागत पंचायत में राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा होता था, परन्तु आधुनिक पंचायत का मुखिया चुनाव द्वारा नियुक्त किये जाते है। चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मूल निवासी हो चुनाव में भाग ले सकता है। प्रायः राजा समझदार, न्यायप्रिय व समाज का बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, परन्तु वर्तमान में सरपंच पद के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है। परम्परागत पंचायत में महिलाओं की कोई भागेदारी नहीं होती थी/है, परन्तु वर्तमान पंचायत में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया हैं। महिलाये सरपंच अथवा पंच दोनों पद के लिए उम्मीदवार हो सकती है। कई जगहों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सीटों में आरक्षण दिया गया है। परम्परागत पंचायत में हत्या जैसे मामलों का भी निराकरण आर्थिक दण्ड व सामाजिक भोज द्वारा कर लिए जाते थे, परन्तु आधुनिक पंचायत हत्या जैसे– मामलों का निराकरण स्वयं नहीं करती, बल्कि स्थानीय पुलिस को सौप देती है और अदालती कार्यवाही अनुसार ही दण्ड निर्धारित होता हैं।

2. कमारों की प्रथागत नियम –कानून में परिवर्तनः–

पूर्व में उल्लेखित कारणों से कमारों के प्रथागत नियम कानून में धीरे–धीरे परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन का दौर आज भी जारी है।

पूर्व में हत्या, अपहरण, बालात्कार, डकैती जैसी घटनाओं का निराकरण परंपरागत पंचायत द्वारा ही किया जाता था और प्रायः इसके लिए दण्ड का स्वरूप सामाजिक भोज एवं आर्थिक दण्ड होता था, परन्तु वर्तमान पंचायते उक्त मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि घटनाओं की सूचना संबंधित पुलिस थाना को दी जाती हैं, और अदालती कार्यवाहीं के द्वारा दोषी का दण्ड निर्धारित होता है। इसमें दण्ड का स्वरूप जेल जाना व आर्थिक दण्ड होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में दोनों भी हो सकता हैं। आज से 50–60 वर्ष पूर्व हर्जाना या दण्ड के रूप में एक या दो रूपये लिए जाते थे परन्तु आज दण्ड की यह राशि बढ़ कर एक हजार से पैंतीस हजार हो गई हैं।

इसी प्रकार सामाजिक भोज में पहले केवल चांवल तथा "मंद" (शराब) शामिल होता था, परन्तु वर्तमान में चावल तथा मंद के साथ बकरा–बकरी का मांस अनिवार्य हो गया है।

==0==

अध्याय – 05

सारांश एवं निष्कर्ष

कमार जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित आदिम जनजातीय समुह है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं उड़िसा में निवास करती है। इनके जीवनयापन का मुख्य साधन–शिकार करना, मछली पकड़ना व बांस बर्तन बनाना आदि। कमार समाज के लोग पहले परंपरागत पद्धति से स्थानांतरित कृषि करते थे, वर्तमान में स्थाई कृषि करना पसंद करते हैं।

कमार जनजाति की राजनीतिक संगठन अन्य आदिम जनजाति की तुलना में स्पष्ट एवं संगठित होता है। आधुनिक पंचायत की तरह मुखिया का निर्धारण चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है एवं पदानुक्रम की व्यवस्था पाई जाती है जैसे – राजा (मुखिया), दीवान, छड़ीदार, चपरासी एवं कोषाध्यक्ष। राजा की प्रास्थिति सर्वोच्च होती है, जिसके निर्णयों को सभी को मानना अनिवार्य होता है। अन्य पदाधिकारी राजा की सहायता के लिए होते हैं। चपरासी, राजा (अध्यक्ष) द्वारा घोषित बैठक की तिथि, स्थान एवं समय आदि की सूचना सभी गांवों को दी जाती है साथ ही बैठक संबंधी अन्य व्यवस्थाएँ करता है।

कमारों की जाति पंचायत में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती है। महिलाओं को न ही किसी पद के लिए चुना जाता है और न ही वे चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकती है। पंचायत के राजा (अध्यक्ष) तथा अन्य पदाधिकारी एवं समाज के बुजुर्ग सदस्य मिलकर विभिन्न घटनाओं का निराकरण करते हैं, तथा समाज के उत्थान के लिए उचित नियम–कानून बनाते हैं, जो सभी कमार सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। इनमें कोई भी लिखित नियम नहीं है, यह केवल मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। राजा किसी घटना के संबंध में निर्णय सुनाने से पहले बैठक में मौजूद बुजुर्ग सदस्यों की राय ली जाती है। ये सभी नियम–कानून समाज में एक परंपरा के रूप में विद्यमान है जिनसे सभी सदस्य भली भांति अवगत होते हैं।

विवाह के संबंध में कमार समाज में परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गोत्र के लड़की से विवाह नहीं करते हैं और न ही अपने जनजाति समुह के अतिरिक्त अन्य जनजाति

समुह या जाति से विवाह करते हैं। कमार समाज में पुरूष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार है, परंतु महिला एक समय में एक ही पति के साथ रहती हैं। महिलायें यदि चाहे तो पहले पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर सकती है। विधवा अथवा परित्यक्ता महिला से विवाह करने पर किसी प्रकार का अर्थदण्ड या भोज देना नहीं पड़ता है। महिलाओं के पुनर्विवाह को ''विवाह'' शब्द से संबोधित नहीं करते बल्कि उसे ''चुड़ी–विवाह'' कहते हैं। ''चुड़ी–विवाह'' का तात्पर्य यह है कि इसमें विवाह की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाति बल्कि पुरूष सदस्य महिला के हाथों में चुड़ी पहनाता है।



कमार समाज मूलतः पितृसत्तात्मक होते हैं और संपत्ति के हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। एक से अधिक पुत्र होने की स्थिति में संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा सभी भाईयों में समान नहीं होता बल्कि ज्येष्ठ पुत्र को अन्य भाईयों से कुछ अधिक संपत्ति दी जाती है।

प्रथागत नियम का उल्लंघन होने या अन्य सामाजिक कलह जैसे – बलात्कार, डकैती, मारपीट या वाद–विवाद आदि का निराकरण के लिए परंपरागत पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। बैठक में दोषी व्यक्ति का पक्ष सुना जाता है, तत्पश्चात राजा अन्य बुजुर्ग सदस्यों की सहमति लेकर अपना निर्णय सुनाता है। ज्यादातार मामलों में आर्थिक दण्ड एवं सामाजिक भोज लिया जाता है। परंतु कुछ ऐसे सामाजिक अपराध है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को अर्थदण्ड या सामाजिक भोज लेकर क्षमा नहीं किया जाता, बल्कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जैसे – समान गोत्र में विवाह करने वालों को जीवन पर्यन्त समाज में शामिल नहीं करते।

राजा द्वारा सुनाये गये निर्णय का पालन करना सभी कमार सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है, जो भी सदस्य राजा के निर्णय के खिलाफ जाता है, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। कमार समाज में कोई भी व्यक्ति इतना आत्म निर्भर नहीं होता है कि वह समाज से पृथक होकर अपना जीवनयापन कर सके, इसलिए वह समाज से बहिष्कृत होने से बचने के लिए समाज द्वारा सुनाये गये निर्णयों को मानता है। इसी प्रकार अन्य किसी सामाजिक

नियम के उल्लंघन के कारण समाज से बहिष्कृत व्यक्ति शीघ्रताशीघ्र समाज में मिलना चाहता है और समाज में मिलाने के लिए पंचायत जो भी सजा निर्धारित करती है उसे वह पूरा करता है।

वर्तमान समय में कमारों की राजनीतिक संगठन में भी विभिन्न परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण सांस्कृतिक संपर्क एवं वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। पंचायती राज विधेयक के लागू हो जाने से राज्य सरकार द्वारा आधुनिक पंचायत की स्थापना की गई है ये पंचायतें अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं एवं उनके निर्णयों को सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा पंचायत तथा अन्य राजनीतिक पदों के लिए विभिन्न चुनाव आयोजित किये जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक नेतृत्व का उद्भव होते जा रहा है। कुछ शिक्षित वर्गों में परंपरागत पंचायत की लोकप्रियता निश्चित ही कम हो रही है। अर्थात ये लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक नेताओं के पास जाते हैं या अदालती कार्यवाही का सहारा लेते हैं।

अन्ततः हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी कमार जनजातियों में प्रथागत नियम–कानून का अपना अलग ही अस्तित्व है। लोग परंपरागत नियम–कानून को सहर्ष स्वीकार करते हैं एवं उनके द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों के अनुसार ही अपनी विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों को पूर्ण करते हैं।

==0==





संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Website: cgtrti.gov.in, E-mail: trti.cg@nic.in

Phone: 0771-2960530, Fax: 0771-2960531